

PRESS RELEASE

CENTRE-STATE COORDINATION VITAL FOR SC/ST EMPOWERMENT: LOK SABHA SPEAKER/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण: लोक सभा अध्यक्ष

COMMITTEES ON SC/ST WELFARE MUST BE CONSTITUTED IN EVERY STATE ASSEMBLY FOR FOCUSSED ACTION: LOK SABHA SPEAKER/प्रत्येक राज्य विधानमण्डल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

कल्याण समितियाँ गठित की जानी चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

EDUCATION AND TECHNOLOGY ARE KEY DRIVERS OF FUTURE EMPOWERMENT OF SC/ST YOUTH: LOK SABHA SPEAKER/शिक्षा और प्रौद्योगिकी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के युवाओं के भावी सशक्तीकरण के मुख्य प्रेरक हैं: लोक सभा अध्यक्ष

COMMITTEE RECOMMENDATIONS SHOULD BE SEEN AS CONSTRUCTIVE GUIDANCE, NOT AS CRITICISM: LOK SABHA SPEAKER/समितियों की सिफारिशों को आलोचना नहीं, बल्कि रचनात्मक मार्गदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए: लोक सभा अध्यक्ष

"BHUBANESWAR AGENDA 2025" TO SERVE AS ROADMAP FOR EQUITABLE AND INCLUSIVE SOCIETY BY 2047: LOK SABHA SPEAKER/"भुवनेश्वर एजेंडा 2025" वर्ष 2047 तक समतामूलक और समावेशी समाज के निर्माण के लिए रोडमैप के रूप में कार्य करेगा: लोक सभा अध्यक्ष

TWO DAY NATIONAL CONFERENCE OF CHAIRPERSONS OF COMMITTEES OF PARLIAMENT AND STATE LEGISLATURES ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CONCLUDES/संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समितियों के सभापतियों का दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ

• • •

Bhubaneswar/New Delhi; 30 August, 2025: Lok Sabha Speaker Shri Birla today stressed that both central and state governments must work in tandem to ensure that welfare schemes reach the last citizen, especially those from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Only through such coordinated effort, he said, can the true benefits of development and progress be delivered. He also underscored the urgent need for every State Assembly to constitute dedicated Committees on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, so that focused and sustained attention can be given to issues concerning these communities. Shri Birla made these remarks at the Valedictory Session of the two-day National Conference of Chairpersons of Committees of Parliament and State Legislatures on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Bhubaneswar today.

He observed that while Parliament already has such Committees actively monitoring welfare measures, the absence of similar institutional mechanisms in some States limits the effectiveness of oversight at the grassroots. Such Committees, Shri Birla stressed, would not only facilitate regular review of implementation of policies and schemes but also ensure that the concerns of SC/ST communities are addressed in a time-bound manner. He called upon State Legislatures to take the lead in constituting these Committees, thereby strengthening the accountability framework and bringing welfare initiatives closer to the people.

He said that India has taken undertaken wide-ranging reforms to strengthen the rights of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and to ensure that they are in tune with present-day aspirations. Committees, he said, play a crucial role in this process by examining budgetary provisions in minute detail, reviewing the performance of welfare schemes, and suggesting improvements. This detailed scrutiny not only enhances transparency in governance but also ensures accountability of the government to the people.

Importantly, their constructive recommendations often guide governments in reevaluating rights, designing tailor-made schemes, and streamlining policies so that they better reflect the needs of disadvantaged communities. He underlined that through intensive discussions during the Conference, participants debated how best the benefits of constitutional provisions, budgetary allocations, and welfare schemes could reach members of SC and ST communities, making them truly empowered and Atmanirbhar.

Shri Birla observed that such a roadmap must encompass all facets of development—social, educational, economic, and political—so that by the year 2047, India can truly realize the vision of Babasaheb Bhimrao Ambedkar: an equitable, just, and inclusive society. He said that this was not merely an aspiration but a national responsibility and hoped that the Committees at both the state and national level would remain central to this mission.

He reiterated that the recommendations emerging from these Committees should be seen as constructive guidance for course correction, not as criticism. When governments and committees work together in this spirit, the results are always more enduring and effective, he added. Further noting that education and technology are drivers of empowerment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, he called for using these tools for empowering the communities and the nation.

Shri Birla expressed confidence that the "Bhubaneswar Agenda 2025", will act as a framework for action, guiding the work of Parliament and State Legislatures in the years to come. With the blessings of Lord Jagannath and the vision of Babasaheb Ambedkar, he said, India will march confidently towards building a Viksit Bharat by 2047, where every member of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes will live with dignity, equality, and justice.

Governor of Odisha Dr. Hari Babu Kambhampati; Deputy Chief Minister, Government of Odisha, Smt. Pravati Parida; Speaker, Odisha Legislative Assembly, Smt. Surama Padhy; Chairman, Parliamentary Committee on Welfare of SCs and STs, Shri Faggan Singh Kulaste; and Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri Harivansh also addressed the distinguished gathering on this occasion.

Dr. Mukesh Mahaling, Minister of Health & Family Welfare, Parliamentary Affairs, and Electronics & Information Technology, Government of Odisha delivered the Welcome Address and Shri Bhaskar Madhei, Chairperson, Committee on Welfare of SC and ST, Odisha Legislative Assembly delivered the Vote of Thanks.

भुवनेश्वर कैंप कार्यालय/नई दिल्ली; 30 अगस्त, 2025: लोक सभा अध्यक्ष, श्री बिरला ने आज इस बात पर ज़ोर दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना चाहिए तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि कल्याणकारी योजनाओं के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति, विशेषकर अनुसूचित जाितयों और अनुसूचित जनजाितयों के लोगों तक पहुँचें। उन्होंने कहा कि ऐसे समन्वित प्रयासों से ही विकास और प्रगति का वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रत्येक राज्य विधानमण्डल में अनुसूचित जाितयों और अनुसूचित जनजाितयों के कल्याण के प्रति समर्पित समितियों के गठन की आवश्यकता पर भी बल दिया, तािक इन समुदायों से संबंधित मुद्दों पर पूरा ध्यान दिया जा सके। श्री बिरला ने आज भुवनेश्वर में संसद और राज्य विधानमंडलों की अनुसूचित जाित और अनुसूचित जनजाित कल्याण समितियों के सभापितयों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में ये टिप्पणियाँ कीं।

श्री बिरला ने कहा कि संसद में पहले से ही ऐसी समितियाँ कार्य कर रही हैं जो कल्याणकारी उपायों की सिक्रय निगरानी कर रही हैं, लेकिन कुछ राज्यों में ऐसे संस्थागत तंत्र मौजूद नहीं हैं, जिससे जमीनी स्तर पर निगरानी नहीं हो पाती। श्री बिरला ने ज़ोर देकर कहा कि ऐसी समितियाँ न केवल नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित निगरानी को सुगम बनाएँगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेंगी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने राज्य

विधानमंडलों से इन समितियों के गठन में अग्रणी भूमिका निभाने का आहवान किया, ताकि जवाबदेही ढाँचे को मज़बूत किया जा सके और कल्याणकारी पहलों का लाभ लोगों तक पह्ंचाया जा सके।

उन्होंने कहा कि भारत ने अनुस्चित जातियों और अनुस्चित जनजातियों को अधिकार दिलाने और यह सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुधार किए हैं कि वे वर्तमान समय की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि समितियाँ बजटीय प्रावधानों की सूक्ष्मता से जाँच करके, कल्याणकारी योजनाओं के कार्य निष्पादन की समीक्षा करके और सुधारों के सुझाव देकर इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार की विस्तृत जाँच से न केवल शासन में पारदर्शिता बढ़ती है, बल्कि जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समितियों की रचनात्मक सिफ़ारिशों से प्रायः सरकारों को अधिकारों का पुनर्मूल्यांकन करने, उनके अनुरूप योजनाएँ बनाने और नीतियों को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलती है तािक ये योजनाएं वंचित समुदायों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन के दौरान गहन चर्चाओं के माध्यम से, प्रतिभागियों ने इस पहलू पर विचार-विमर्श किया कि संवैधानिक प्रावधानों, बजटीय आवंटनों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अनुस्चित जाित और अनुस्चित जनजाित समुदायों के सदस्यों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है, जिससे वे वास्तव में सशक्त और आत्मिनिर्भर बनें।

श्री बिरला ने कहा कि इस तरह के रोडमैप में विकास के सभी पहलुओं अर्थात सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए ताकि भारत बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर के एक समतामूलक, न्यायसंगत और समावेशी समाज के सपने को वर्ष 2047 तक साकार कर सके। उन्होंने कहा कि यह केवल एक आकांक्षा नहीं, बिल्क एक राष्ट्रीय दायित्व भी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य और केन्द्र, दोनों स्तरों पर समितियाँ इस मिशन को केंद्र में रखकर कार्य करेंगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इन समितियों की सिफारिशों को आलोचना के बजाय, सुधार के लिए रचनात्मक मार्गदर्शन के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकारें और समितियाँ इस भावना से मिलकर काम करती हैं, तो परिणाम हमेशा अधिक स्थायी और प्रभावी होते हैं। शिक्षा और प्रौद्योगिकी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सशक्तीकरण का प्रेरक बताते हुए, उन्होंने समुदायों और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए इन साधनों के उपयोग का आहवान किया।

श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि "भुवनेश्वर एजेंडा 2025" आने वाले वर्षों में संसद और राज्य विधानमंडलों के कार्यों का मार्गदर्शन करेगा और कार्ययोजना के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद और बाबासाहेब आंबेडकर के विजन के साथ, भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण की ओर आत्मविश्वास से आगे बढ़ेगा, जहाँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रत्येक सदस्य को सम्मान, समानता और न्याय मिलेगा।

ओडिशा के राज्यपाल, डॉ. हिर बाबू कंभमपित; ओडिशा सरकार की उप मुख्यमंत्री श्रीमती प्रवती परिदा; ओडिशा विधान सभा की अध्यक्ष, श्रीमती सुरमा पाढ़ी; अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण संबंधी संसदीय समिति के सभापित, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते; और राज्य सभा के उप सभापित श्री हिरवंश ने भी इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित किया।

ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, संसदीय कार्य, तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, डॉ. मुकेश महालिंग ने स्वागत भाषण दिया तथा ओडिशा विधान सभा की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सभापति, श्री भास्कर मधेई ने धन्यवाद जापित किया।